

पत्रिका क्रमांक - 14/12/2022

14/12/2022

फ्रा. पेश हुई/ वकील प्रार्थी उप. | अपात्रताओं का दावा 09 RS के तहत खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रार्थना-पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना-पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रसन्न सुधार होकर दाखिल है।



आशय ...  
दावा प्रस्तुत ...  
को नहीं किया ...  
पेटवारे के दा ...  
मना ...  
राज्य सर ...  
दावे के ...  
राजस्व ...  
कार बन ...  
दाद ...  
या भूमि ...  
या व ...  
ारा ...  
ार्थ ...  
इय